TEN RUPEES

FIVE RUPEES

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्य प्रदेश, ग्वालियर

प्र0क्र0 ।2001 पुनरीक्षण

R-1372-I/2001

रज्जू तनय रामलाल
निवासी ग्राम मूरापुरवा तहसील गौरीहार
जिला छतरपुर ------- आवेदक

विरुद्ध

1- मध्य प्रदेश शासन
2- लच्छू तनय दशरथ कुर्मी
निवासी ग्राम हनुखेड़ा तहसील गौरीहार
जिला छतरपुर ----- अनावेदकगण

अपर आयुक्त सागर संभाग द्वारा प्रकरण क्रमांक 7731अ-19196-97 में पारित आदेश दिनांक 28-9-2000 के विरुद्ध पुनरीक्षण आवेदन-पत्र अन्तर्गत धारा-8 एवं धारा-50 म0प्र0 भू राजस्व संहिता 1959.

26 JUL 2001

महोदय,

आवेदक निम्नलिखित तथ्यों एवं आधारों पर पुनरीक्षण आवेदन प्रस्तुत करता है :-

(1) यह कि अपर आयुक्त का विवादित आदेश अवैध, अनुचित होकर निरस्त किये जाने योग्य है ।

(2) यह कि अनावेदक-2 को म0प्र0 ग्रामों में की दखलरहित -- -- अधिनियम 1984 के अन्तर्गत भूमि व्यवस्थापन की पात्रता नहीं है । अनावेदक-2 के परिवार में उसके पिता के नाम 4-444 हेक्टेयर पैतृक भूमि पूर्व से ही होने से वह भूमिहीन की परिभाषा में नहीं आता है और न ही अनावेदक-2 कृषि श्रमिक है । वह सम्पन्न परिवार का व्यक्ति है । तहसील न्यायालय द्वारा अनावेदक-2 के हित में

---2

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश R 1372-5/07	पक्षकारों एवं अभिभाषकों अथवा के हस्ताक्षर
20.10.16.	आवेदक की ओर से अधि श्री [illegible] एल के वाजपेयी तथा राज्य की ओर से अधि श्री प्रदीप [illegible] उप. [illegible] सुना। आवेदक के अधि. द्वारा [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] — [illegible]	[illegible] 2016